शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-7/1098/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 23 मई, 2014

विषयः- **समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07.02.2014 तथा पत्र संख्या-337/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 11.02.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा **समाजवादी पेंशन योजना** के संचालन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्वान्तों के आधार पर क्रियान्वयन हेतु निर्देश तथा प्रत्येक जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संशोधित लक्ष्य

2- अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों द्वारा उक्त निर्धारित किये गये लक्ष्य निर्धारण में कतिपय विसंगतियों का उल्लेख करते हुए समाजवादी पेंशन योजना हेतु संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में संज्ञान में लाई गई विसंगतियों के दृष्टिगत उनका निराकरण करते हुए समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए **संशोधित जनपदवार लक्ष्य** निर्धारित कर दिया गया है, जो **संलग्नक-1** पर अवस्थित है।

3- जिला समाज कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु निर्धारित वर्गवार लक्ष्यों का ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के वार्ड वार तथा प्रत्येक वर्ग हेतु लक्ष्य का निर्धारण शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2014 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उक्त सूचना को निदेशक, समाज कल्याण के वेब-साईट पर विशेष रूप से बनाये गये सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी यह भी प्रमाणित करेंगे कि उक्त लक्ष्य सही है एवं उसे दिनांक 31 मई, 2014 तक अपने डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करेंगे, जिससे लक्ष्यों में तदुपरान्त किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

समय-सारिणी

4- अवगत होंगे कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2014 निर्धारित की गयी थी, किन्तु इसी मध्य चुनाव अचार संहिता प्रभावी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत चयन का कार्य बाधित रहा। उक्त के दृष्टिगत समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु समय सारिणी को पुनः निर्धारित किया गया है, ताकि इस योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। तदनुसार समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि 20 जून, 2014** निर्धारित की गयी है। संचालन हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गई हैः-

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि।	**20 जून, 2014**
आवेदन पत्रों की जॉच/स्थलीय सत्यापन।	**20 जुलाई, 2014**
ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा सूची तैयार करना।	**31 जुलाई, 2014**
सूची को प्रदर्शित करना एवं आपत्तियों का आमंत्रण।	**07 अगस्त, 2014**
ग्राम सभा/वार्ड कमेटी की खुली बैठक।	**15 अगस्त, 2014**
खण्ड विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रभारी नगर निकाय) द्वारा लाभार्थियों की सूची का सत्यापन।	**31 अगस्त, 2014**
जनपद स्तरीय समितियों का अनुमोदन।	**10 सितम्बर, 2014**
लाभार्थियों की अनुमोदित सूची की डाटा इन्ट्री एवं सर्वर पर अपलोड करना।	**30 सितम्बर, 2014**

5- उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। **अतः जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे।** जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। लाभार्थियों के चयन हेतु समस्त प्रक्रिया दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण करा ली जाय ताकि 01 अक्टूबर, 2014 से लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि अन्तरित की जा सके।

6- यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त ग्राम सभा/वार्ड कमेटी की खुली बैठक दिनांक 15 अगस्त, 2014 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से आयोजित करा ली जाय। उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त बैठक में निर्धारित कोरम पूर्ण हो। बैठक के शांतिपूर्ण तथा सुचारू ढंग से संचालित कराने का दायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- समाजवादी पेंशन योजना के संचालन विषयक उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2014 के प्रस्तर-13.8 में त्रुटिवश ''समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय,'' टंकित हो गया है, के स्थान पर ''समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार के 0 से 5 वर्ष के बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय,'' पढ़ा जाय।

8- यह सुनिश्चित किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त संशोधित लक्ष्य एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पादित की जाय।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव

पृ0सं0- 1098(1)/26-2-2014-100(1)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी (नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना), उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
9- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in